न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, एवम् न्याय निर्णयन अधिकारी, सवाईमाधोपुर
पीठासीन अधिकारी –श्री महेन्द्र लोढ़ा

[illegible] प्रकरण संख्या 14/14 तारीख रजू 04/08/14

[illegible] संस्कार जरिए खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवम् स[illegible] अधिकारी,सवाईमाधोपुर।
–आवेदक

बनाम

[illegible] श्री ओमप्रकाश गोयल पुत्र विरधीचन्द्र गोयल मैसर्स संरपच पान भंडार बस स्टेण्ड ग्राम पोस्ट म[illegible] डूगर जिला सवाई माधोपुर निवासी वार्ड नं0 13 ग्राम पोस्ट मलारना डूगंर जिला सवाई माधोपुर।
– अभियुक्त

न्याय निर्णयन आवेदन अन्तर्गत धारा 68 खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा 2(11)

::निर्णय:: दिनांक: 15-3-18

[illegible] न्याय निर्णयन आवेदन अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवम् मुख्य चिकित्सा एवम् स्वास्थ्य अधि[illegible] सवाई माधोपुर द्वारा प्राधिकृत खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री नरेश कुमार चेजारा खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय [illegible] स्वास्थ्य अधिकारी, सवाई माधोपुर (आवेदक) ने अन्तर्गत धारा 68खाद्य सुरक्षा और मानक अधि[illegible] 2006 की धारा 26 की उप धारा 2(11) प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि आवेदक दिनांक 23/10/13 को [illegible] के सदस्य श्री राजेश कुमार रामचन्दानी खाघ सुरक्षा अधिकारी के साथ बस स्टेण्ड मलारना [illegible] सवाई माधोपुर में मैसर्स सरपंच पान भंडार पर पहुँचा। वहां पर श्री श्री ओमप्रकाश गोयल पुत्र विरधीचन्द्र [illegible] से खाघ पदार्थ स्वीटण्ड कार्बोनेटेड वाटर का विक्रय कर रहे थे। उक्त आवेदक ने विक्रे[illegible] परिचय दिया व परिचय पत्र दिखाया और विक्रेता ने मौके पर खाघ अनुज्ञा पत्र की प्रति प्रस्तुत की [illegible] मालिक होना पाया गया तत्पश्चात् मालिक की उपस्थिति में दुकान का निरिक्षण करने पर फ्रिज [illegible] स्वीटण्ड कार्बोनेटड वाटर (सेवन अप एवं पेप्सी) जो कि क्रमशः 16 व 09 बोतले 600 मिली व [illegible] में रखा हुआ था, का निरिक्षण किया गया। निरिक्षण के दौरान स्वीटण्ड कार्बोनेटड वाटर सेवनअप [illegible] बोतले जिन पर बैच नं0 006 बी पैकिग दिनांक 05/02/2013 एवं बेरट बिफोर तीन माह अवधि [illegible] निरीक्षण दिनांक को अवधि पार हो चुकी थी एवं स्वीटण्ड कार्बोनेटड बाटर पेप्सी 1000 मिल[illegible] बैच नं0 ए 043 पैकिग दिनांक 23/03/13 एवं बेस्ट बिफोर तीन माह अंकित थी, जो कि [illegible] दिनांक को अवधि पार हो चुकी थी।

[illegible] मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 के अन्तर्गत स्वीटण्ड कार्बोनेटेड वाटर के नमुने हेतु आ[illegible] एक ही बैच व एक ही प्रकार का होना आवश्यक है। अतः खाघ सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 20[illegible] कार्यवाही संभव नहीं है क्योकि सेवनअप की मात्रा 9.6 लीटर व पेप्सी की मात्रा 9 लीटर [illegible] खाघ पदार्थो का विक्रय खाघ सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 27 की उपधारा 3(क[illegible] मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर मालिक एवं गवाहान को पढ़कर सुनाकर एवं समझाकर ह[illegible] मालिक श्री ओमप्रकाश गोयल व गवाहान ने भी पढकर समझकर सही मानकर हस्ताक्षर कि[illegible]

[illegible] एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी सवाई माधोपुर द्वारा प्रकरण में समस्त दस्तावेजो का अध्ययन [illegible] मानक अधिनियम 2006 की धारा 27 की उपधारा 3(क) का उल्लधंन पाये जाने पर जो वि[illegible] 58 में जुर्माने योग्य अपराध है। अभियुक्त द्वारा अवधिपार खाघ पदार्थो का विक्रय करके [illegible] मानक अधिनियम 2006 की धारा 27 की उपधारा 3(क) का उल्लधंन किया है। जिसका जुर्माना [illegible] मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 58 में निर्धारित है।

न्याय निर्णयन आवेदन प्रस्तुत होने पर दर्ज किया जाकर अभियुक्त को जरिए सम्म्न तलब किया [illegible] उपस्थित हुआ। अभियुक्त द्वारा जबाब प्रस्तुत करने पर अभियोजन अधिकारी व [illegible] की बहस सुनी गई।

अभियोजन अधिकारी ने न्याय निर्णयन आवेदन पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में कहा कि अभि[illegible] खाद्य पदार्थ का विक्रय करने का दोष साबित है,अतः अधिकतम शास्ति से दण्डित किया जावे।

अभियुक्तगण के जवाब में अंकित तथ्यों क हवाला देते हुए बहस में निवेदन किया है कि अभियुक्त की प[illegible] कार्बोनेटड बाटर सेवनअप व पेप्सी की बोतलों का अभियुक्त द्वारा कोई विक्रय नहीं किया जा रह[illegible] मौके पर ली गई फर्द रिपोर्ट में भी अंकित नहीं किया है। उक्त पेय पदार्थ का कोई विक्रय [illegible] ना तो आवेदक ने मौके पर नमूना हेतु उक्त पेय पदार्थ का क्रय किया ना हि जांच करवाई [illegible] फर्द मौका में स्पष्ट लिखा है कि उक्त पेय पदार्थ को एक कट्टे में डालकर सील चपड़ी [illegible] दिया गया था, जबकि आवेदक को उक्त पेय पदार्थ का नमूना लेकर पेय पदार्थ कार्यालय [illegible] अधिकारी के यहां रखना आवश्यक था।

12/A

[illegible] आरोप लगाये है जो निरर्थक है, साथ ही वकील अभियुक्त ने अनुरोध किया कि [illegible] एवम् मानक अधिनियम,2006 की धारा 27 की उपधारा 3(क) के अर्न्तगत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र [illegible]

[illegible] सुनने व आवेदक द्वारा प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन व दस्तावेजात का अवलोकन करने [illegible] पहुंचा हूं कि अभियुक्त द्वारा उक्त पेय पदार्थ स्वीटण्ड कार्बोनेटड बाटर सेवनअप एव [illegible] थी ना कि पृथक से पैक करके रखी हुई थी। जिससे स्पष्ट होता है कि अभियुक्त द्वार [illegible] का विक्रय किया जा रहा था, साथ ही अभियुक्त द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज/साक्ष्य प्रस्तुत नहीं [illegible] हो कि अभियुक्त द्वारा अवधिपार पेय पदार्थ का विक्रय नहीं किया जा रहा हो।

[illegible] के आधार पर अभियुक्त को खाद्य सुरक्षा एवम् मानक अधिनियम,2006 की धारा 27 की [illegible] कारित करने का दोषी माना जाकर दोष सिद्ध अपराधी करार दिया जाता है तथा उक्त [illegible] कारित करने पर खाद्य सुरक्षा एवम् मानक नियम,2006 की धारा 58 के अन्तर्गत आर्थिक शास्ति [illegible] किये जाने का प्रावधान प्रावधित हैं तथा चूकि अभियुक्त द्वारा उक्त आपराधिक प्रकृति क [illegible] किया जाना पाया जाता है।

[illegible] अभियुक्त द्वारा अवधिपार स्वीटण्ड कार्बोनेटड बाटर का विक्रय करने पर खाद्य सुरक्षा एवम् मानक [illegible] 2011 की धारा 58 के अन्तर्गत 3,000 रूपये (तीन हजार रूपये)की आर्थिक शास्ति राशि [illegible] दण्ड से दण्डित किया जाता है तथा अभियुक्त को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त [illegible] तीस दिवस की अवधि के भीतर –भीतर न्याय निर्णय अधिकारी एवम् अतिरिक्त जिल [illegible] के पक्ष में देय राष्ट्रीयकृत बैंक से जारी रेखांकित ड्राफ्ट द्वारा न्याय निर्णयन अधिकारी क [illegible] गुजरने मियाद अपील नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जावेगी।आदेश की एक प्रति [illegible] अभियुक्त को यदि उपस्थित हो तो व्यक्तिशः या प्राधिकृत व्यक्ति को परिदत्त की जा [illegible] की प्रति जरिए पंजीकृत डाक प्रेषित की जावे।

[illegible] आज दिनांक 15·3·18 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(महेन्द्र लोढ़ा)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवम्
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सवाईमाधोपुर